कार्यालय उपनिदेशक उ0प्र0अग्निशमन सेवा –परिक्षेत्र –कानपुर/झाँसी

पत्रांकः डीडीआर–केएनसी/अ0प्र0पत्र(कानपुर नगर)/2015 (186) दिनांकः जून 29 ,2015

सेवा में,

मेसर्स–ए0आर0सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,
भूखण्ड सं0–523,524बिरहाना ,गीतानगर, विनायकपुर,
काकादेव,कानपुर नगर ।

विषयः भूखण्ड सं0–523,524बिरहाना ,गीतानगर, विनायकपुर,काकादेव,कानपुर नगर पर प्रस्तावित मेसर्स– ए0आर0सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,भवन हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

यू.आई.डी.नं0–: 2015/11036/ केएनसी/कानपुर नगर/361/डीडी

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या शून्य दिनांकः 24.06.2015एवं आवसीय बहुखण्डीय भवन के लिए अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु यूआईडी सं0–2015/11036/केएनसी/कानपुर नगर/ 361/डीडी पर किए गये आवेदन का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मानचित्र प्रेषित करते हुए उक्त आवासीय बहुखण्डीय भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है। प्रश्नगत आवासीय बहुखण्डीय भवन हेतु पूर्व में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर के पत्रांक–2014/568/केएनसी/कानपुर नगर /5/जेडी दिनांक 29.05.2014 द्वारा प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था आवेदक द्वारा उक्त स्थल पर आवासीय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करते हुये प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवासीय बहुखण्डीय भवन के उपलब्ध कराये गये संशोधित मानचित्रों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अभिलेखों व मानचित्रों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांकित 28.06.2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

भवन की संरचना :–

1. कुल भूखण्ड एरिया **2562.02 वर्गमी0।**
2. प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल से नौवें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया – **606.23 वर्ग मीटर**
3. प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन के दसवें तल का कवर्ड एरिया–**201.07** वर्ग मीटर
4. बेसमेण्ट प्रथम का कवर्ड एरिया – **1054.89** वर्ग मी0
5. बेसमेण्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया – **शून्य** वर्ग मी0
6. कुल ऊँचाई – 32.74 मीटर

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 2005 के आवासीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढाँचागत व्यवस्था :–

1. **पहुँच मार्ग**– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में सामने की ओर **36.57 मीटर चौड़ाई का** रोड़ प्राविधानित है
2. **प्रवेश द्वार की चौडाई**– भवन में प्रवेश/निकास हेतु दो **मुख्य द्वार** प्रस्तावित हैं जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई **4.57 मीटर** प्रस्तावित है जो मानक के अनुसार है।
3. **सैटबैक –**

ए– अग्रभाग– 10.00 **मीटर।**
बी–पृष्ठभाग– 10.00 **मीटर।**
सी–पार्श्व प्रथम–10.00 **मीटर।**
डी–पार्श्व द्वितीय–10.00 मी0 ।

उप निदेशक (फायर सर्विस)
कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर

कृ0पृ0उ0

नोटः—एन.बी.सी. के पार्ट III के क्लाज 9.4.2.1 के अनुसार पेन्ट हाउस 10वें फ्लोर का कवर्ड एरिया 201.07 मीटर है जो प्रत्येक फ्लोर के कवर्ड एरिया के1/3 से कम है जिससे 10वीं मंजिल की 03 मीटर ऊँचाई घटने पर भवन की ऊँचाई की गणना हेतु 29.74 मीटर होगी । 29.74मीटर ऊँचाई के सापेक्ष 10मीटर सेटबैक मानको के अनुरूप है ।

भवन के चारों तरफ न्यूनतम् 06 मीटर मोटरेबुल रोड टर्निंग रेडियस 09 मीटर सहित जो 45 टन वाहन की लोड वेयरिंग क्षमता की सदैव अवरोधमुक्त उपलब्ध करायी जाये ,जिसका प्रमाण—पत्र किसी राजकीय संस्थान से कम्पलीशन प्रमाण—पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. **निकास मार्ग**— प्रस्तावित भवन में प्रत्येक फ्लोर हेतु 02 अदद जीना (प्रत्येक 1.5 मी0चौड़ाई) प्राविधानित है जिसमें से एक जीने को किसी भी दशा में ग्लास आदि से बन्द न किया जाये ताकि उसमें धुआँ आदि न भरे तथा इसे फायर इस्केप के रूप में प्रयोग किया जा सके ,भवन में 02 लिफ्ट एवं 01 सर्विस लिफ्ट का प्राविधान किया गया है ,जिसमें से एक में फायर मैन स्विच का प्राविधान हो
5. रिफ्यूज एरिया का विवरण— निल

<u>**अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :—**</u> नेशनल विल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी आवश्यक है—

1. **भूमिगत टैंक**— प्राविधानित नहीं है ।
2. **पम्प**— प्राविधानित नहीं है ।
3. होजरील — भवन में प्रत्येक तल पर **प्रस्तावित है।**
4. **डाउन कमर** — प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर **प्रस्तावित है।**
5. **होज कैबिनेट एवं डिलेवरी होज, ब्रांचपाइप व फायर सर्विस इनलेट**— एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रत्येक राइजर के प्रत्येक तल पर लैण्डिग वाल्व ,एयर रीलिज वाल्व होज बाक्स सहित **प्राविधानित है।**
6. **हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**— मैनुअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार **प्राविधानित है।**
7. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**—प्रस्तावित भवन में **आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित नहीं है।**
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम— आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम** एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार **बेसमेण्ट में प्राविधानित है।**
9. **टैरेस टैंक**— भवन के टैरेस पर **25,000 लीटर** क्षमता का टैरेस टैंक प्राविधानित है।
10. **टैरेस पम्प**— एन0बी0सी0 के अनुसार भवन के टैरेस टैंक के पास **900 एलपीएम क्षमता का टैरेस पम्प प्राविधानित है।**
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**—सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0—2190 के अनुसार — प्रत्येक राइजर के पास प्रत्येक तल पर 02 अदद **ए.बी.सी. टाईप 06किग्रा क्षमता के आई0एस0मार्क प्राविधानित है तथा बेसमेण्ट में 08 अदद 06किग्रा क्षमता के फायर एक्सटिंग्यूशर प्राविधानित है ।**
12. **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम**— स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम—
    - ए— फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग— **प्राविधानित है ।**
    - बी— सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था— **प्राविधानित है ।**
    - सी— स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण—**30 एयर चेन्ज पर ऑवर क्षमता का स्मोक एक्सट्रेन्शन सिस्टम व मेक अप एयर सिस्टम बेसमेण्ट में लगाया जाना प्रस्तावित है ।**
13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली**—लिफ्ट साफ्ट व सीढ़ी जो बेसमेण्ट में जा रही है में स्मोक डिटेक्ट करते ही उन्हे प्रेशराइज करने की प्रणाली प्राविधानित है ,जिससे बेसमेण्ट का धुआँ ऊपरी तलों में न जा सके ।
14. **एक्जिट साइनेज**— सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज **प्राविधानित है ।**
15. **पी0ए0 सिस्टम**— पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में **प्राविधानित है ।**

कृ0पृ0उ0

उप[illegible] फायर सर्वि.
कानपुर [illegible], कानपुर

अतः अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज,कानपुर नगर तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर की संस्तुति पर भूखण्ड सं0–523,524बिरहाना ,गीतानगर, विनायकपुर,काकादेव,कानपुर नगर पर प्रस्तावित मेसर्स– ए0आर0सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,बहुखण्डीय आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्तानुसार भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा **भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व भवन का प्रयोग असुरक्षित एवं अवैधानिक होगा। भवन निर्माण अथवा अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में एन0बी0सी0 2005 के मानकों में किसी प्रकार के उल्लंघन होने की दशा में तथा सेटबैक/भवन में किसी प्रकार का विचलन/परिवर्तन की स्थिति में भवन निर्माण हेतु निर्गत किया जा रहा प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**

संलग्नःअनुमोदित मानचित्र।

29.6.15

उपनिदेशक, फायर सर्विस,
परिक्षेत्र–कानपुर/झाँसी।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. मुख्य नगर नियोजक , कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर को उनकी आख्या दिनांक 28.06.2015 के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि निर्गत की गयी एन0ओ0सी0 को ऑन लाइन अंकित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज ,कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि आवेदक की प्रति अपने स्तर से तत्काल वितरित कराये जाने हेतु प्रेषित।